



OFFICE OF THE PRINCIPAL

GOVT. LOCHAN PRASAD PANDEY COLLEGE, SARANGARH, DIST.-RAIGARH (C.G.)

Affiliated to Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.)

Email ID- glppc.dpt@gmail.com


Website- www.glppcollege.in

Contact-07768-233306

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डे महाविद्यालय सारंगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में कार्यरत अधिकारियों का APR एवं गोपनीय प्रतिवेदन तथा कर्मचारियों का गोपनीय प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग को प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि पर प्रेषित किया जाता है।

क्र.	अधिकारी/ कर्मचारियों का नाम	पदनाम	APR	गोपनीय प्रतिवेदन
1	डॉ. श्रीमती सुनिला एकका	सहा.प्राध्या.-राजनीतिशास्त्र	APR	गोपनीय प्रतिवेदन
2	डॉ. डी.पी. तिर्की	सहा.प्राध्या.-समाजशास्त्र	APR	गोपनीय प्रतिवेदन
3	श्री लोकेश्वर पटेल	सहा.प्राध्या.-भौतिक शास्त्र	APR	गोपनीय प्रतिवेदन
4	श्री उसतराम पटेल	सहा.प्राध्या.-भूगोल	APR	गोपनीय प्रतिवेदन
5	डॉ. श्रीमती अर्चना पाटले	सहा.प्राध्या.-रसायन शास्त्र	APR	गोपनीय प्रतिवेदन
6	श्री दिनेश प्रताप सिंह पैकरा	सहा.प्राध्या.-हिन्दी	APR	गोपनीय प्रतिवेदन
7	श्री श्यामाचरण नेताम	सहा.प्राध्या.-अर्थशास्त्र	APR	गोपनीय प्रतिवेदन
8	श्री पी.आर. साहू	सहा.ग्रेड-2	-	गोपनीय प्रतिवेदन
9	श्रीमती एन. ठाकुर	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	-	गोपनीय प्रतिवेदन
10	श्री के.के. डहारिया	प्रयोगशाला तकनीशियन	-	गोपनीय प्रतिवेदन
11	श्री एस.के. मैत्री	प्रयोगशाला तकनीशियन	-	गोपनीय प्रतिवेदन
12	श्री एस.के. आत्मपूज्य	प्रयोगशाला तकनीशियन	-	गोपनीय प्रतिवेदन
13	श्री आर.के. थवाईत	प्रयोगशाला तकनीशियन	-	गोपनीय प्रतिवेदन
15	श्रीमती सुषमा प्रधान	प्रयोगशाला परिचारक	-	गोपनीय प्रतिवेदन
16	श्रीमती अनिता सिंह	प्रयोगशाला परिचारक	-	गोपनीय प्रतिवेदन
17	श्री राजेन्द्र भारती	प्रयोगशाला परिचारक	-	गोपनीय प्रतिवेदन
18	श्री शिवकुमार थवाईत	प्रयोगशाला परिचारक	-	गोपनीय प्रतिवेदन
19	श्री शशिभूषण पटेल	बुकलिफ्टर	-	गोपनीय प्रतिवेदन
20	श्री सतिश चन्द बनज	चौकीदार	-	गोपनीय प्रतिवेदन
21	श्री शैलेन्द्र प्रधान	स्वीपर	-	गोपनीय प्रतिवेदन



श्री.लो.प्र.पाण्डे महाविद्यालय
सारंगढ़,जि.रायगढ़(छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी0बी0ए0एस0) हेतु
वार्षिक स्व मूल्यांकन प्रपत्र

सत्र/वर्ष

(प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाए)

शिक्षक का नाम पदनाम

..... विषय कर्मचारी कोड नं.

महाविद्यालय



(भाग—क सामान्य सूचना)

1. नाम (बड़े अक्षरों में) :
2. पिता/पति का नाम :
3. विभाग :
4. जिस विषय में विशेषज्ञता हो
5. महाविद्यालय में सेवा प्रारंभ करने की जानकारी
 - i. प्रथम नियुक्ति का पद प्रकार एवं दिनांक
.....
 - ii. नियमित नियुक्ति का दिनांक
.....
 - iii. वर्तमान पद एवं नियुक्ति दिनांक
.....
6. वर्तमान पद एवं वेतन ग्रेड :
7. पूर्व पदोन्नति की तिथि :
8. पत्र व्यवहार हेतु पता (पिन कोड सहित) :
9. स्थायी पता (पिन कोड सहित) :

फोन नं. :
ई मेल :
10. यदि वर्ष के दौरान कोई डिग्री/शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है :
11. अकादमिक स्टाफ कालेज नवोन्मेषी/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जिनसे वर्ष के दौरान भाग लिया गया :

पाठ्यक्रम का नाम/ ग्रीष्मकालीन स्कूल	स्थान	अवधि	प्रयोजक अभिकरण

12. वर्ष के दौरान लिये गये अवकाश की प्रकृति एवं दिवस

भाग—ख : अकादमिक कार्य निष्पादन संकेतक

(कृपया इस खण्ड को भरने से पूर्व इस (पीबीएएस) प्रोफॉर्मा के ब्यौरेवार अनुदेशों को देंख ले)

वर्ग : I. शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप

- (i) व्याख्यान, संगोष्ठियाँ, अनुवर्ग, प्रायोगिक कक्षाएँ, संपर्क घंटे (सत्रवार ब्यौरा दें, जहाँ आवश्यक हो)

क्र. स.	पाठ्यक्रम / प्रश्न पत्र	स्तर	शिक्षण का माध्यम	प्रति सप्ताह आबंटित कक्षाओं की संख्या	प्रति दस्तावेजी रिकॉर्ड के अनुसार ली गई कक्षाओं / प्रायोगिक कक्षाओं की सं. का प्रतिशत

* व्याख्यान (एल), संगोष्ठी (एस), अनुवर्ग (टी), प्रयोगिक कक्षाएँ (पी), संपर्क घंटे (सी)

		API अंक
(क)	ली गई कक्षाएं (100 प्रतिशत कार्य निष्पादन पर अधिकतम 50 अंक तथा 75 प्रतिशत तक कार्य निष्पादन पर अनुपातिक अंक जिससे निचले स्तर पर कोई अंक नहीं दिया जायेगा)	
(ख)	यू.जी.सी. प्रतिमान के अतिरिक्त शिक्षण भार (अधिकतम अंक : 10)	

- (ii) पाठन / परामर्श प्राप्त अनुदेशात्मक सामग्री एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त ज्ञान संसाधन

क्र.सं.	पाठ्यक्रम / प्रश्न पत्र	परामर्श प्राप्त	विनिर्दिष्ट	उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त संसाधन
पाठ्यचर्या एवं पाठ्यविवरण संवर्धन के अनुसार तैयारी एवं विदित ज्ञान / अनुदेश पर आधारित API अंक, विद्यार्थियों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराते हुए (अधिकतम अंक : 20)				API अंक

- (iii) सहभागितापूर्ण तथा नवोन्मेषी शिक्षण—अनुशिक्षण प्रद्वतियों का उपयोग, विषय—वस्तु, पाठ्यक्रम सुधार आदि को अद्यतन करना

क्र.सं.	संक्षिप्त विवरण	API अंक
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 20)	

- (iv) परीक्षा ड्यूटी, सौंपी गई एवं निष्पादित की गई

क्र.सं.	परीक्षा ड्यूटी का प्रकार	सौंपी गई ड्यूटी	कितने (प्रतिशत) निष्पादित की गई	API अंक
	कुल अंक (अधिकतम अंक : 25)			

वर्ग : I में कुल प्राप्तांक

न्युनतम अंको की आवश्यकता – 75

वर्ग : II. सह पाठ्येत्तर, विस्तार, व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप कृपया निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अपना योगदान दर्शायें:

क्र.सं.	कार्यकलाप का प्रकार	औसत घंटे / सप्ताह	API अंक
	(i) विस्तार, सहपाठ्येत्तर एवं क्षेत्र आधारित कार्यकलाप		
	कुल (अधिकतम अंक : 20)		
	(ii) कारपोरेट जीवन में योगदान तथा संस्थान का प्रबंधन	वार्षिक / सत्रवार उत्तरदायित्व	API अंक
	कुल (अधिकतम अंक–15)		
	(iii) व्यावसायिक विकासगत गतिविधियाँ		

(ii) सम्मेलन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	सम्मेलन प्रकाशन का ब्यौरा	ISSN/ ISBN सं.	सह लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं?	API अंक

(iii) एकल लेखक या संपादक के रूप में प्रकाशित पुस्तकें

क्र. सं.	पृ.सं. सहित शीर्षक	पुस्तक का प्रकार एवं कर्तृत्व	प्रकाशक एवं ISSN/ ISBN सं.	क्या समकक्ष की समीक्षा की गई ?	सह-लेखकों की संख्या	क्या आप मुख्य लेखक हैं ?	API अंक

III. (ग) चल रही एवं पूर्ण हो चुकी शोध तथा परामर्शी परियोजनाएं

(i एवं ii) चल रही परामर्शी परियोजनाएं

क्र.सं.	शीर्षक	अभिकरण	अवधि	गतिशील अनुदान राशि (लाख रु. में)	API अंक

(iii एवं iv) पूर्ण हुई परियोजनाएं/परामर्शी

क्र.सं.	नामाकंन सं.	अभिकरण	अवधि	अनुदान/चल राशि (लाख रु. में)	निष्कर्ष रूप में पॉलिसी डाक्यूमेंट/पेटेंट का	API अंक

III. (घ) शोध मार्गदर्शन

क्र.सं.	अनुक्रमांक सं.	जमा किया गया शोध निबंध	प्रदत्त डिग्री	API अंक
एम. फिल या समान				
पी.एच.डी. या समान				

III. (ङ.) (i) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण—अनुशिक्षण—मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम (एक सप्ताह की अवधि से कम नहीं)

क्र.सं.	कार्यक्रम	अवधि	द्वारा आयोजित	API अंक

(ii) सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, परिचर्चाओं में प्रस्तुत किए गए पत्र

क्र. सं.	प्रस्तुत पत्र का शीर्षक	सम्मेलन/संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित	क्या अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य/प्रादेशिक/कालेज या विश्वविद्यालय स्तर पर हुए	API अंक

(iii) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी आदि में आमंत्रित व्याख्यान एवं अध्यक्षता

क्र.सं.	व्याख्यान अकादमिक सत्र का शीर्षक	सम्मेलन / संगोष्ठी का विषय	द्वारा आयोजित की गई	क्या अंतर्राष्ट्रीय /राष्ट्रीय है ?	API अंक

(IV) API अंको का सार

	मानदण्ड	गत अकादमिक वर्ष	आकलन अवधि हेतु कुल API अंक	आकलन अवधि हेतु वार्षिक औसत API अंक
I	शिक्षण, अनुशिक्षण तथा मूल्यांकन संबंधी गतिविधियाँ			
II	सह पाठ्येत्तर , विस्तार, व्यावसायिक विकास आदि			
	कुल I+II			
III	शोध एवं अकादमिक योगदान			

भाग ग : अन्य संबंधित सूचना

कृपया किसी अन्य विश्वसनीय, महत्वपूर्ण योगदान, प्राप्त किए गए अवार्ड आदि का ब्यौरा दें जिसे पूर्व में नहीं दर्शाया गया है :

क्र. सं.	ब्यौरा (जहाँ कहीं आवश्यक हो, वर्ष मूल्य आदि दर्शायें)

संलग्नकों की सूची : (कृपया प्रमाणपत्रों, मंजूरी आदेशों, पत्रों आदि की प्रतियाँ साथ नथी करें, जहाँ कहीं आवश्यक हो)

- | | |
|----|-----|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि यहाँ दी गई जानकारियाँ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सही हैं तथा विधिवत भरे गए PBAS प्रोफार्मा के साथ दस्तावेज नथी किए गए हैं ।

संकाय के पद, स्थान एवं तिथि सहित हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय अध्यक्ष/प्राचार्य के हस्ताक्षर

नोट : कैस पदोन्नति हेतु वार्षिक स्व मूल्यांकित प्रोफॉर्मा, विधिवत भरा हुआ, की सभी संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा जॉच की जायेगी तथा इसकी सूचना IQAC को प्रेषित की जायेगी ।

भाग—घ.

(आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ/उच्च शिक्षा संचालनालय का अभिमत)

आवेदक अधिकारी द्वारा भाग क, ख, ग में प्रेषित सत्र/वर्ष

के स्व—मूल्यांकन पर टीप—

1.	क्या आप आवेदक अधिकारी के स्व मूल्यांकन में अंकित किसी बिन्दु से असहमत है ? यदि हाँ तो किन—किन बिन्दुओं से तथा क्यों ? (कारण सहित उल्लेख करें)	
	बिन्दु—	कारण—
2.	आवेदक अधिकारी की निष्ठा	
3.	आवेदक अधिकारी के समग्र मूल्यांकन के आधार पर अनुशंसित अकादमिक निष्पादन सूचकांक (A.P.I.)	

स्थान —

दिनांक —

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

संयुक्त संचालक
आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन
प्रकोष्ठ

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर (छ0ग0)

समीक्षक अधिकारी की अभ्युक्ति

1.	क्या आप आंतरिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ के अभिमत से सहमत हैं ?	
2.	यदि नहीं तो कारण दर्शित करें।	

स्थान –

दिनांक –

समीक्षक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्वीकृतकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति

स्थान –

दिनांक –

स्वीकृतकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

PBAS प्रोफार्मा के भाग ख को भरने हेतु अनुदेश

प्रोफॉर्मा का भाग—ख, यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट—111, तालिका—1 पर आधारित है। इसको हाल ही में समाप्त हुए अकादमिक वर्ष हेतु भरा जायेगा।

प्रोफॉर्मा, इन तालिकाओं तथा स्व आकलन किए गए अंकों के आधार पर भरा जायेगा। प्रत्येक वर्ग, यहाँ तक कि विभिन्न कार्यकलापों के पृथक—पृथक क्षेत्रों हेतु प्रदान किए गए या अगसारित किए गए अंकों को तालिका में दर्शाया गया है।

स्व मूल्यांकित प्राप्तांक अंक नीचे दर्शाये गए संकेतकों/कार्यकलापों पर आधारित होंगे। विश्वविद्यालय, उनके अनुभवों एवं अपेक्षाओं पर आधारित विस्तृत संकेतकों और संबंधित अंकों में परिशिष्ट III, तालिका I में वर्गों एवं उपवर्गों को दिए गए प्राप्तांकों में परिवर्तन किए बगैर, रूपांतरित कर सकते हैं।

नोट : स्व मूल्यांकन, विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा जॉच तथा छानबीन—सह—जॉच समिति या चयन समिति पर निर्भर करता है, जैसा भी मामला हो।

श्रेणी : 1, शिक्षण, तथा मूल्यांकन संबंधी कार्यकलाप

(i) (क)

व्याख्यान/प्रायोगिक कक्षाएँ/अनुशिक्षण, ली गई संपर्क कक्षाएं, जॉच योग्य रिकार्ड पर आधारित होनी चाहिए। यदि किसी शिक्षक ने सौंपी गई कक्षाओं में से 75 प्रतिशत से कम कक्षाएं ली है उसे कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय, वकाश की अवधि हेतु भत्ता प्रदान कर सकता है, जहाँ साधारणतः वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था की गई है। 100 प्रतिशत कार्य निष्पादन होने पर अधिकतम अंक : 50	अधिकतम अंक : 50
---	-----------------

(ख)

यदि शिक्षक ने यू.जी.सी. प्रतिमान से हटकर कक्षाएं ली है, ऐसे में कक्षाओं/क्रेडिट के प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे।	अधिकतम अंक : 10
---	-----------------

(ii)

सूचना/संज्ञान/अनुदेश निर्धारित सामग्री सहित प्रति पाठ्य—विवरण के अनुसार पाठ्य—पुस्तक /नियमावली आदि), विद्यार्थियों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराकर पाठ्यचर्चा संवर्धन (100 प्रतिशत अनुपालन = 20 अंक)	अधिकतम अंक : 20
--	-----------------

(iii) सहभागिता एवं नवोन्मेषी शिक्षण—अनुशिक्षण पद्धतियों, अद्यतन विषयवस्तु, पाठ्यक्रम संवर्धन आदि का उपयोग।

संकेतक / कार्यकलाप	अधिकतम अंक
पाठ्यक्रमों, पाठ्य विवरण की रूपरेखा को अद्यतन करना (एकल पाठ्यक्रम हेतु)	10
नवाचारी शिक्षण/अनुशिक्षण में प्रशिक्षण पद्धतियों का उपयोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, अद्यतन विषयवस्तु एवं पाठ्यक्रम सुधार।	10
क. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षण सामग्री : प्रत्येक के लिए 10 अंक	10
ख. अन्योन्यक्रिया पाठ्यक्रम : प्रत्येक के लिए 5 अंक	10
ग. सहभागितापूर्ण अनुशिक्षण मॉड्यूल्स : प्रत्येक के लिए 5 अंक	
विकासात्मक तथा विदित उपचारात्मक/ब्रिज पाठ्यक्रम तथा परामर्शी मॉड्यूल्स (प्रत्येक कार्यकलाप : 5 अंक)	10
शारीरिक शिक्षा में विकासात्मक विदित विशेषज्ञतापूर्ण शिक्षण – अनुशिक्षण कार्यक्रम, पुस्तकालयः संगीत में नवाचारी सृजन एवं रचनात्मकता, कार्यनिष्पादन एवं दृश्यात्मक कला एवं अन्य पारंपरिक क्षेत्र (प्रत्येक कार्यकलाप : 5 अंक)	10
विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर सहायक शिक्षण/वैब आधारित शिक्षण तथा ई-पुस्तकालय कौशल में प्रचलित कार्यक्रमों/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था एवं संचालन (क) कार्यशाला/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम : प्रत्येक के लिए 10 अंक	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	20

(iv) परीक्षा संबंधी कार्य

संकेतक	अधिकतम अंक
कालेज/विश्वविद्यालय तथा सत्रीय/वार्षिक कार्य आबंटित ड्यूटी के अनुसार (निरीक्षण कार्य—10 अंक, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन—5 अंक प्रश्नपत्र तैयार करना—5 अंक) (100 % अनुपालन = 20 अंक)	20
कालेज/विश्वविद्यालय परीक्षा/मूल्यांकन उत्तरदायित्व आबंटित किए गए अनुसार आंतरिक/निरंतर आकलन कार्य हेतु (100 % अनुपालन = 10 अंक)	10
समन्वयन जेसे परीक्षा कार्य, या उड़नदस्ता ड्यूटी आदि (अधिकतम 5 या 10 अंक ड्यूटी की गंभीरता पर निर्भर (100 % अनुपालन = 10 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा ख (iv)	25

श्रेणी : II सह—पाठ्येत्तर, विस्तार एवं व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप

(i) विस्तार तथा सह पाठ्येत्तर तथा स्थल आधारित कार्यकलाप

संस्थानात्मक सह पाठ्येत्तर कार्यकलाप; विद्यार्थियों हेतु जैसे स्थल अध्ययन / शैक्षिक दौरे, उद्योग स्थापना प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यकलाप (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
पद / नेतृत्व की भूमिका जो विस्तारित कार्य तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) NCC, NSO या कोई अन्य समानुरूप कार्यकलाप से संबद्ध संगठन में निभाई गई भूमिका (प्रत्येक कार्यकलाप के लिए 10 अंक)	10
विद्यार्थियों एवं स्टाफ संबंधी सामाजिक सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम, परिसर प्रकाशन (विभागीय स्तर, 2 अंक, संस्थागत स्तर पर 5 अंक)	10
सामुदायिक कार्य जैसे राष्ट्र संघटन, पर्यावरण लोकतंत्र समाजवाद, मानव अधिकार, शांति, वैज्ञानिक प्रकृति ; बाढ़ या सूखा राहत, छोटा परिवार मानदण्ड आदि (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	20

(ii) संस्थान के निगमात्मक जीवन तथा प्रबंधन में योगदान

कालेजों / विश्वविद्यालयों के निगमात्मक जीवन में योगदान; बैठकों, प्रचलित व्याख्यानों, विषय संबंधी आयोजनों, कालेज पत्रिका तथा विश्वविद्यालय संस्करणों में आलेखों के माध्यम से (प्रत्येक के लिए 2 अंक)	10
संस्थानात्मक शासन उत्तरदायित्व जैसे उप—प्राचार्य, डीन, निदेशक, वार्डन, वर्सर, स्कूल अध्यक्ष, समन्वयक (प्रत्येक के लिए 10 अंक)	10
विभागीय या संस्थानात्मक प्रबंधन के किसी भी पहलू सहित संबंद्ध समितियों में सहभागिता जैसे दाखिला समिति, परिसरीय विकास, पुस्तकालय समिति (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
छात्र कल्याण, परामर्श एवं अनुशासन हेतु समितियों हेतु उत्तरदायित्व या सहभागिता (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
सम्मेलन का संगठन / प्रशिक्षण अंतराष्ट्रीय (10 अंक) ; राष्ट्रीय / प्रादेशिक (5 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	15

(iii) व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यकलाप

संकेतक / कार्यकलाप	अधिकतम अंक
व्यवसाय संबंधी समितियों की सदस्यता राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर क. राष्ट्रीय स्तर पर : प्रत्येक के लिए 3 अंक	10
ख. स्थल स्तर पर : प्रत्येक के लिए 2 अंक	
विषय संघ सम्मेलन, संगोष्ठियों में बगैर पत्र प्रस्तुतिकरण के सहभागिता	10
प्रत्येक कार्यकलाप के लिए : 2 अंक	
शैक्षिक प्रौद्योगिकी, पाठ्यविवरण विकास, व्यावसायिक विकास,	10

परीक्षा सुधार, संस्थानात्मक शासन में 1 सप्ताह से कम अवधि के अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहभागिता (प्रत्येक कार्यकलाप के लिए 5 अंक)	
शिक्षा पर राज्य / केन्द्रीय निकायों / समितियों में सदस्यता, सहभागिता, अनुसंधान एवं राष्ट्रीय विकास (प्रत्येक के लिए 5 अंक)	10
समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या अन्य प्रकाशनों (जो वर्ग 3 में शामिल नहीं है) में आलेखों का प्रकाशन : रेडियो वार्ता, दूरदर्शन कार्यक्रम (प्रत्येक के लिए 1 अंक)	10
अधिकतम पूर्णांक सीमा	15

वर्ग: III अनुसंधान, प्रकाशन तथा अकादमिक योगदान

इसको यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट III तालिका 1, वर्ग III के अनुसार भरा जाएगा। जहां कहीं भी अनुसंधान योगदान संयुक्त रूप से किया गया है, ए पी आई अंको को, तालिका-1 दर्शाये गए फार्मूले के अनुसार सहयोगियों के मध्य बॉट दिया जाएगा।

III एपीआई अंको का सारांश

वर्ग एवं के लिए एपीआई प्राप्तांको को प्रगति अनुसार उत्तरोत्तर संचालित किया जायेगा जैसा कि यू.जी.सी. विनियम 2010 में दर्शाया गया है। यह समस्त प्रक्रिया 2010–11 के लिए निर्मित चयन समितियों के आकलन के साथ प्रारंभ होगी और इसी के अनुसार 2011–12 की 2 वर्ष की अवधि का वार्षिक औसत और आगे आने वाली अवधि का भी उसी प्रकार से आंकलन किया जाएगा। परंतु जैसा कि विनियमों के अंतर्गत पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है, श्रेणी III के लिए समस्त निर्धारण अवधि में प्राप्तांको को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा।

IV

इसी प्रकार पीबीएस प्रोफॉर्मा, विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष/उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष तथा निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/उप-निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद जो कि यू.जी.सी. विनियम 2010 के परिशिष्ट III : तालिका- IV से IX में रेखांकित किए गए ए पी आई अंक पैटर्न पर आधारित है, इन संवर्गों द्वारा विकसित किया जायेगा।

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर

गोपनीय प्रतिवेदन प्रपत्र

31 मार्च:.... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये

भाग-एक नियुक्ति का विषय :

प्रतिवेदित अधिकारी प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक द्वारा भरा जाए

- | | | | |
|----|--|-------------|----------|
| 1. | पूरा नाम
(महिला अधिकारी विवाह के पूर्व का नामें भी लिखें) | | |
| 2. | पिता का नाम | | |
| 3. | जन्मतिथि | | |
| 4. | शैक्षणिक अर्हता एवं वर्ष | स्नातक | एम.फिल |
| | | स्नातकोत्तर | पी.एच.डी |
| 5. | वेतन व वेतनमान | वेतन | वेतनमान |
| 6. | महाविद्यालयीन सेवा प्रारंभ करने की जानकारी | | |
| | (अ) प्रथम नियुक्ति का पद, प्रकार एवं दिनांक : | | |
| | (ब) नियमित नियुक्ति का दिनांक : | | |
| | (स) वर्तमान पद एवं नियुक्ति दिनांक : | | |
| 7. | वर्ष में किस-किस संस्था में पदस्थ रहे, अवधि का भी उल्लेख करें :
(यदि एक से अधिक संस्था में कार्य किया हो तो प्रत्येक संस्था की कार्य अवधि के लिए पृथक फार्म भरा जाये) | | |
| | (i) | | |
| | (ii) | | |
| | (iii) | | |



- 01 जन्म तिथि :
- 02 नियुक्ति का दिनांक :
- 03 नियुक्ति का प्रकार :
- 04 सेवा निवृत्ति का दिनांक :
- (अधिवार्षिकी आयु पूर्ण)
- 05 विवाह पूर्व का नाम :
- (महिला अधि. / कर्म. हेतु)
- 06 सामान्य भविष्य निधिखाता क. :
- 07 जाति (अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / सामान्य) :
- 08 वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्राप्त करने की तिथि :
- 09 प्रवर श्रेणी वेतनमान प्राप्त करने की तिथि :

बलौदा बाजार

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

शासकीय द्राक. स्नातकोत्तर महाविद्यालय

बलौदा बाजार जिला—रायपुर (छ.ग.)

भाग - दो (प्रतिवेदक अधिकारी की अन्युक्ति)

प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा भाग-1 में दिये स्वमूल्यांकन पर टीप.

- | | | |
|---------|--|---|
| 1. | क्या प्रतिवेदक अधिकारी के स्वमूल्यांकन में उल्लेखित किसी विन्दु से आप असहमत हैं? यदि हाँ तो विवरण दें |
.....
..... |
| 2. | महाविद्यालय उत्तरदायित्वों को समय पर पूर्ण करने में रुचि |
.....
..... |
| 3. | क्या इन्होने आवंटित कोर्स पूर्ण किया |
.....
..... |
| 4. | छात्रों के लिये प्रयास |
.....
..... |
| | (अ) देविष्यमान छात्रों के लिये क्या प्रयास किये |
.....
..... |
| | (ब) कमज़ोर छात्रों के लिये क्या प्रयास किये |
.....
..... |
| 5. | उपरोक्त के क्या परिणाम रहे |
.....
..... |
| 6. | प्राचार्य द्वारा सौंपे गये कार्यों में क्या तत्परता रही |
.....
..... |
| 7. | निष्ठा |
.....
..... |
| 8. | प्रतिवेदक अधि. का भ्रमग्र मूल्यांकन |
.....
..... |
| टीप | उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/साधारण/घटिया)
उत्कृष्ट या घटिया वर्गीकरण करने पर इसका औचित्य भी स्पष्टतः अंकित करें | प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर
पूरा नाम
पदनाम |
| देनांक- | | |

भाग - तीव्र

(समीक्षक अधिकारी की अभ्यर्ता)

- क्या आप प्रतिवेदक अधिकारी के मूल्यांकन से सहमत हैं
यदि नहीं, तो कारणों सहित अपना अभिमत दें

३०५

समीक्षक अधिकारी के हस्ताक्षर
पूरा नाम
पदनाम

भाग - चार

(स्वीकर्ता अधिकारी की अम्बुजि)



୩୮

स्त्रीकर्ता अधिकारी के हस्तांक
पूरा नाम
पदनाम ।

8. प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा समीक्षा अवधि में किये गए कार्य की जानकारी :

	क्र. पढ़ाई गई कक्षा का स्तर	सेवन की संख्या	कुल छात्र संख्या	वर्ष के दौरान लिए गए पीरियड्स (कालखंड) की संख्या	प्रायोगिक टिटोरियल	विशेष कोचिंग
1. स्नातक						
2. स्नातकोत्तर						
9. क्या उपस्थिति पंजी नियमित भरी गई						
10. क्या उपस्थिति पंजी प्राचार्य को सौंपी गई						
11. वर्ष के दौरान आपके द्वारा किये गए शोध कार्य का विवरण						
12. प्रकाशित कार्य का विवरण						
13. कितने छात्रों को शोध कार्य हेतु मार्गदर्शन किये						
(अ) एम.फिल.	के कितने छात्रों को					
(ब) पीएच.डी.	के कितने छात्रों को					
14. कितने कमज़ोर छात्रों को विशेष कोचिंग दी						
15. वर्ष में कितनी नई पुस्तकों का अध्ययन किया						
(पुस्तकों का नाम व लेखकों का नाम लिखें)						
16. वर्ष के दौरान लिए गए अवकाश की प्रकृति एवं दिवस						
17. शैक्षणिक कार्यों का संक्षिप्त विवरण						
(अ) एन.सी.सी.						
(ब) एन.एल.एस.						
(स) परीक्षा संचालन						
(महाविद्यालयीन परीक्षा संचालन में क्या कार्य किया						
कार्य की प्रकृति एवं कितने दिन इस कार्य का						
संचालन किया)						
(द) महाविद्यालय प्रशासन के लिए किये गए कार्य						
(जैसे अनुशासन, चाँच कार्य, छात्र संघ आदि)						
(इ) अन्य कार्य						
(जैसे- खेल संबंधी, सेमीनार आदि)						
दिनांक						

प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक
के पूर्ण हस्ताक्षर

लोक सेवक के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी :-

महाविद्यालय का नाम

जिला का नाम

सहायक प्राध्यापक का नाम

विषय

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

लोक सेवक के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी :-

1. सतत सेवा (सेवा में टूट की जानकारी)

हॉ / नहीं

यदि हॉ तो विवरण

हस्ताक्षर

सहायक प्राध्यापक

हस्ताक्षर

प्राचार्य

2. न्यायालयीन प्रकरण

हॉ / नहीं

यदि हॉ तो विवरण

हस्ताक्षर

सहायक प्राध्यापक

हस्ताक्षर

प्राचार्य

3. अपराधिक विवरण

हॉ / नहीं

यदि हॉ तो विवरण

हस्ताक्षर

सहायक प्राध्यापक

हस्ताक्षर

प्राचार्य

4 विभागीय जांच

हॉ / नहीं

यदि हॉ तो विवरण

हस्ताक्षर

सहायक प्राध्यापक

हस्ताक्षर

प्राचार्य

5. महाविद्यालय में प्रस्तुत चल-अंचल सप्ति प्रपत्र की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।

परीक्षा परिणाम विश्लेषण :-

सं. क्र.	कक्षा	विद्यार्थियों की संख्या					किया गया प्रयास	प्रयास का विवरण
		प्रवेशित	परीक्षा में सम्मिलित	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण का प्रतिशत		



आकादमिक कार्यों विश्लेषण :-

विद्वता और शोध के विभिन्न क्षेत्रों में कोई ऐसा कार्य किया हो, जो स्थूल्यांकन परीक्षकों की रिपोर्टों
प्रकाशनों की गुणवत्ता, शिक्षा के नवोन्मेष, नवीन पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्चा आदि की रचना से प्रमाणित
हो (आवश्यकतानुसार अलग से शीट जोड़ा जा सकता है। दिये गये विवरण के संबंध में किसी भी प्रकार
का दस्तावेज संलग्न ना करें, केवल प्राचार्य द्वारा अभिप्राप्तित करावें।)

1

2

3

4

प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक
के पूर्ण हस्ताक्षर

प्राचार्य के हस्ताक्षर (टीप सहित)
(सील सहित)



प्रपत्र

अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष दिराम्बर, की स्थिति में

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा नाम) तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शासकीय महाविद्यालय का नाम
2. वर्तमान धारित पद अगली वेतन वृद्धि का तारीख
3. वर्तमान वेतन अगली वेतन वृद्धि का तारीख

क्र.	उस जिले उप संभाग, तह, तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतालाईये कि वह किसके नाम पर आधारित और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन का तारीख और जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहाँ सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के रोदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।
टिप्पणी :- छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1965 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह पहली नियुक्ति के समय और बाद में प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व का तथा उसके हारा अर्जित अथवा उसे विरासत में भिली या उसके अपने नाम पर या उसके बंधक पर उसके हारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्योरे दें।

शासकीय सेवक के हस्तांक

